

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर**  
क्रमांक: ई-18/एम/27/ए.सी.पी./जोन-जोधपुर/2024/  
**आदेश**

दिनांक :-

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफडी/(रुल्स)2013-II दिनांक 28.06.2013 की अनुपालना में श्री छगनलाल, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जैसलमेर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 05.09.2012 है तथा दिनांक 05.09.2014 को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है। कार्मिक द्वारा दिनांक 30.06.2021 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा कार्मिक द्वारा DCA परीक्षा दिनांक 29.01.2013 को उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर दिनांक 04.05.2017 के अनुसार में परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात् DCA परीक्षा दिनांक 29.01.2013 से रूपये 8080 (5200-20200 रनिंग पे व ग्रेड पे 2400) वेतन नियतन करते हुए एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 30.06.2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा व टंकण गति परीक्षा से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि का नोशनल लाभ देय होगा।

**(राकेश कुमार शर्मा)**  
**निदेशक (अराजपत्रित)**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**  
**राज0,जयपुर**

दिनांक :- 24/4/2024

क्रमांक: ई-18/एम/27/ए.सी.पी./जोन-जोधपुर/2024/9।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जैसलमेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री छगनलाल, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

**निदेशक (अराजपत्रित)**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,**  
**राज0,जयपुर**

RajKaj Ref  
6711743



**Signature valid**

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.04.24 08:08:45 IST  
Reason: Approved